

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी अभिवेक गोयल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या/65/2018 प्रार्थना पत्र

दायर दिनांक 14.06.2018

उनवान

1. किशनलाल पिता जीतु जाति नायक निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. प्रथु पिता नारायण जाति नायक निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. भगवान पिता किशनलाल जाति नायक निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहनलाल पिता नन्दा जाति नायक निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. शंकर पिता शम्भु जाति नायक निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. भंवरलाल पिता शम्भु जाति नायक निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. गोपी पिता शम्भु जाति नायक निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. सोहनलाल पिता शम्भु जाति नायक निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. किशनलाल पिता हेमा जाति भील निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. गोदु पिता हीरा जाति भील निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. पृथ्वीराज पिता नारायण जाति नायक निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. शंकरदास पिता हीरादास जाति साधु निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक 04.06.2019

—:निर्णय:—

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस बाबत प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा रामथली पटवार हल्का रूदडी तहसील कपासन की खाता संख्या 150 में स्थित आराजी संख्या 367, 368, 371, 399, 520, 637, 643, 647, 648 कुल किता 9 एवं खाता संख्या 32 में स्थित आराजी संख्या 366, 379, 0384, 385, 402, 404, 632, 634, 636, 638, 645, कुल किता 11 एवं खाता संख्या 111 में स्थित आराजी संख्या 376, 403, कुल किता 2 व खाता संख्या 112 में स्थित आराजी संख्या 362, 386, 396, 397, 405, 526, 527, कुल किता 7 स्थित है उक्त अराजीयात के चारो तरफ अप्रार्थीगण की अराजीयात स्थित है तथा हम पक्षकारान के बिच में सीमा के निशानात नही है जिससे आय-दिन सीमा बाबत विवाद रहता है अप्रार्थीगण को कई बार कहा कि सीमा कें पुख्ता निशानात कराले लेकिन हर बार टालमबाजी करते है इस लिए आराजीयात जैर-बहस के चारो तरफ चारो दिशाओं कि पत्थरगढी कराना आवश्यक है। अतः पत्थरगढी कराने का आदेश फरमावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के हाजिर नही आने से उनके विरुद्ध एक-तरफा कार्यवाही

१

अमल में लाई गई प्रार्थना पत्र पर बहस एक तरफा सुनी गई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार कपासन को संबंधित प्रकरण में 500/- रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा रामथली पटवार हल्का रूदडी तहसील कपासन की खाता संख्या 150 में स्थित आराजी संख्या 367, 368, 371, 399, 520, 637, 643, 647, 648 कुल किता 9 एवं खाता संख्या 32 में स्थित आराजी संख्या 366, 379, 0384, 385, 402, 404, 632, 634, 636, 638, 645, कुल किता 11 एवं खाता संख्या 111 में स्थित आराजी संख्या 376, 403, कुल किता 2 व खाता संख्या 112 में स्थित आराजी संख्या 362, 386, 396, 397, 405, 526, 527, कुल किता 7 की उभय पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो तो पत्थरगढी की जावें एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे तथा कमिश्नर फिस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें साथ हि यह सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हों। इस बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।



(अभिषेक प्रोयल)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन